

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 766/2023

अनवान : -

1. रजिन्द्र कुमार पुत्र हंसराज जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।

- वादी

बनाम्

1. सुनील कुमार पुत्र हंसराज जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
2. हाकम चन्द पुत्र चम्बाराम जाति कम्बोज/कमो सिंख निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
3. सुनील कुमार पुत्र देशराज जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
4. निरज कुमार पुत्र मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
5. धीरज कुमार पुत्र मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
6. देशराज पुत्र चम्बाराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
7. मधुरानी पुत्री देशराज जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
8. रमेश रानी पत्नी मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
9. पूनम रानी पुत्री मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
10. कोमल रानीपुत्री मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
11. किरना रानी पुत्री मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
12. पूजा पुत्री मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
13. ममता पुत्री देशराज जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0  
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: - 02/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 259/251 के खसरा नं. 291 की कुल तादादी 4. 7420 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 171/162 के खसरे 2 की कुल तादादी 6.2980 है0 भूमि में मृतक मुंशीराम पुत्र चम्बाराम के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 245/237 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 8.8280 है0 भूमि में से


उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

मृतक मुंशीराम पुत्र चम्बाराम के 925/4414 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 के 925/4414 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व अरड़की के खाता संख्या 337/321 की कुल 33.918 है० भूमि मुश्तरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 6 एवं प्रतिवादीया संख्या 7 व 13 प्रतिवादी संख्या 3 के पिता व बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परिवार के मौजिज सदस्यों के समक्ष हक त्याग कर चुके है एवं प्रतिवादीया संख्या 8 जो कि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 9 ता 12 जो कि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवसार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने पुत्रों/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 259/251 के खसरा नं. 291 की कुल तादादी 4.7420 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जो हाकमचन्द पुत्र चम्पाराम के नाम दर्ज है में से 1/4 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के ब० हि० ब० काबिज है, 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है एवं 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ब० हि० ब० काबिज है व शेष 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 यथावत काबिज तथा मौजा अरड़की तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 171/162 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.2980 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दर्ज हिस्से की बजाये 1/8 हिस्सा भूमि पर ब० हि० ब० काबिज है, प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ब० हि० ब० 1/8 हिस्सा पर काबिज है व 1/4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ब० हि० ब० काबिज एवं रोही मौजा अरड़की के खाता संख्या 245/237 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 8.8280 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से की बजाये 2775/17656 हिस्सा भूमि पर ब० हि० ब० काबिज है व 2775/17656 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ब० हि० ब० काबिज है व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक 2775/17656 हिस्सा भूमि पर काबिज है व खाता संख्या 337/321 की कुल 33.918 है० भूमि में से मृतक मुंशीराम पुत्र चम्बाराम व प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ब० हि० ब० काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 13 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है प्रतिवादी संख्या 14 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार की सदस्य है वाद भूमि बाबत पक्षकारान का समझौता हो चुका है एवं मुताबिक समझौता काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 259/251 के खसरा नं. 291 की कुल तादादी 4.7420 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 171/162 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.2980 है० भूमि में मृतक मुंशीराम पुत्र चम्बाराम के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 245/237 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 8.8280 है० भूमि में से मृतक मुंशीराम पुत्र चम्बाराम के 925/4414 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 के 925/4414 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व अरड़की के खाता संख्या 337/321 की कुल 33.918 है० भूमि मुश्तरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि पक्षकारान का पारिवारिक समझौता हो चुका है मुताबिक समझौता काबिज है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर प ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 259/251

के खसरा नं. 291 की कुल तादादी 4.7420 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जो हाकमचन्द पुत्र चम्पाराम के नाम दर्ज है में से 1/4 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 का नाम मुताबिक शिर्षक दर्ज कर यथावत रहेगी तथा रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 171/162 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6. 2980 है0 भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि में मृतक मुंशीराम पुत्र चम्बाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से की बजाये 1/8 ब0 हि0 ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 को 1/8 हिस्सा ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा अरड़की के खाता संख्या 245/237 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 8.8280 है0 भूमि में से मृतक मुंशीराम पुत्र चम्बाराम व प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से की बजाये 2775/17656 हिस्सा भूमि का ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 2775/17656 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 2775/17656 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 337/321 की कुल 33. 918 है0 भूमि में से मृतक मुंशीराम पुत्र चम्बाराम व प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*al*  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 766/2023

अनवान : -

1. रजिन्द्र कुमार पुत्र हंसराज जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।

- वादी

बनाम्

1. सुनील कुमार पुत्र हंसराज जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
2. हाकम चन्द पुत्र चम्बाराम जाति कम्बोज/कमो सिंख निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
3. सुनील कुमार पुत्र देशराज जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
4. निरज कुमार पुत्र मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
5. धीरज कुमार पुत्र मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
6. देशराज पुत्र चम्बाराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
7. मधुरानी पुत्री देशराज जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
8. रमेश रानी पत्नी मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
9. पूनम रानी पुत्री मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
10. कोमल रानीपुत्री मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
11. किरना रानी पुत्री मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
12. पूजा पुत्री मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
13. ममता पुत्री देशराज जाति कम्बोज निवासी चक राजासर हाल दड़बी तहसील सिरसा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 766 सन 2023 निर्णय दिनांक - 02/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 259/251 के खसरा नं. 291 की कुल तादादी 4.7420 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जो हाकमचन्द पुत्र चम्पाराम के नाम दर्ज है में से 1/4 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 का नाम मुताबिक शिर्षक दर्ज कर यथावत रहेगी तथा रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 171/162 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.2980 है० भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि में मृतक मुंशीराम पुत्र चम्बाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से की बजाये 1/8 ब० हि० ब० खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 को 1/8 हिस्सा ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा अरड़की के खाता संख्या 245/237 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 8.8280 है० भूमि में से मृतक मुंशीराम पुत्र चम्बाराम व प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से की बजाये 2775/17656 हिस्सा भूमि का ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 2775/17656 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 2775/17656 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 337/321 की कुल 33.918 है० भूमि में से मृतक मुंशीराम पुत्र चम्बाराम व प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर